



**बी.एड.ऑनलाइन आबंटन कार्यक्रम 2011 में माननीय उच्च न्यायालय  
बिलासपुर के आदेशानुसार किये गये आंशिक संशोधन की सूचना**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर छ.ग.द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन में बी.एड.आन लाइन आबंटन कार्यक्रम में याचिका क्रमांक WP(C) 4631/2011 WP(C)4983/2011, WP(C)4984/2011, WP(C)4985/2011, WP(C)4890/2011 व WP(C) 4866/2011 में मान.उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिनांक 01.09.2011 को जारी आदेशानुसार नियमानुसार संशोधन जारी किया जाता है-

क्र.	विवरण	दिनांक से	तक
1.	तीसरे चरण के लिए विकल्प फार्म भरना एवं विकल्प परिवर्तन करना ( विकल्प परिवर्तन मात्र एक बार )	25.08.2011	09.09.2011
2.	तीसरे चरण में सूची दावा आपत्ति के लिए	12.09.2011	13.09.2011
3.	तीसरे चरण की सीट आबंटन सूची जारी करना	<b>14.09.2011</b>	
4.	तीसरे चरण में आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश की अवधि	14.09.2011	20.09.2011
5.	प्रतीक्षा सूची जारी करना	<b>22.09.2011</b>	
6.	प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों द्वारा आबंटित महाविद्यालय में चयन हेतु आवेदन करना।	22.09.2011	26.09.2011
7.	प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय द्वारा जारी करना।	27.09.2011 को	
8.	चयनित अभ्यर्थी द्वारा आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश।	29.09.2011 तक	
9.	सीट रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के अगले मेरिट क्रम के अभ्यर्थी का चयन एवं महाविद्यालय में प्रवेश।	<b>30.09.2011</b>	

**नोट -**

1. महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के चयन व प्रवेश देते समय मेरिट क्रम का पूर्णतः पालन किया जाना है।
2. एक अभ्यर्थी को उनके द्वारा दिये गये विकल्प अनुसार कई महाविद्यालयों की प्रतीक्षा सूची में नाम आ सकता है। प्रतीक्षा सूची में नाम होने से प्रवेश मिल ही जाएगा यह आवश्यक नहीं है।
3. प्रतीक्षा सूची से महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही महाविद्यालय का चयन किया जा सकेगा जिसके लिए उसे उस महाविद्यालय में आवेदन देना होगा। अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में महाविद्यालय में अपना मेरिट क्रम एवं रिक्तियों के अनुसार महाविद्यालय में चयन का निर्णय ले सकते हैं।
4. प्रतीक्षा सूची से प्रवेश के लिए किसी एक महाविद्यालय में चयन हेतु आवेदन देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी का अन्य महाविद्यालयों में प्रतीक्षा सूची से प्रवेश का दावा समाप्त माना जावेगा।
5. शेष नियम व प्रक्रिया पूर्ववत् रहेंगे।

**संचालक**

प्रतिलिपि –

- 1.संचालक,जनसम्पर्क छ.ग.को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्राचार्य ,संबंधित महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्री.बी.एड.2011 के अभ्यर्थियों को सूचनार्थ ।
4. नेट प्रभारी ,कम्प्यूटर सेक्शन SCERT रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रबंध संचालक MKCL पुणे महाराष्ट्र को सूचनार्थ ।

संचालक